प्रेस नोट- दिनांक- 21.09.2024, जनपद प्रतापगढ़

आरक्षी हों या अधिकारी अपराधियों पर पड़ रहे भारी

-पुलिस अधीक्षक ने लागू की बीट पुलिसिंग आरक्षियों ने दिखाया साहस

-गैंगस्टर व अपराधियों पर साए की तरह बनाए रखी अपनी पैनी नजर

-बीट पुलिसिंग प्रणाली में सात पुलिसकर्मियों ने किया सराहनीय कार्य

-8 गैंगस्टर और एक 25 हजार के इनामिया बदमाश को दबोचा गया

-बीट पुलिसकर्मियों के सराहनीय कार्य पर उन्हें किया जायेगा पुरस्कृत

प्रतापगढ़। जनपद की पुलिसिंग कुछ इस प्रकार से हो रही है कि आरक्षी से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नीतियां अपराधियों पर भारी पड़ रही हैं। पुलिस अधीक्षक ने बीट पुलिसिंग प्रणाली को जनपद में विकसित करके आरक्षियों के कंधो को विश्वास और जिम्मेदारी से लैस किया। तो आरक्षियों ने भी खाकी का फर्ज अदा करके गैंगस्टर जैसे बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिये फील्डिंग सजा दी। जनपद का एक-एक गैंगस्टर पुलिस के राडार पर है और बीट पुलिसिंग कर रहे आरक्षी साए की तरह उनके पीछे लगे हैं। हाल में हुई आपराधिक घटना में जैसे ही गैंगस्टर की संलिप्तता नजर आई वैसे ही उनको धर दबोचा गया।

पुलिस अधीक्षक डा.अनिल कुमार द्वारा उन बीट पुलिस कर्मी जिन्होंने अदम्य साहस एवं कर्तव्य पालन करते हुए अपने बीट क्षेत्र में एलर्ट रहकर 8 गैंगस्टर और एक 25 हजार के इनामिया बदमाश को दबोचने का सराहनीय कार्य किया गया उन्हें सम्मानित किया जाएगा। अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, रेन्ज प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार ने जनपद में अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम तथा डकैती, लूट व चोरी की घटित घटनाओं के शीघ्र अनावरण, गैँगस्टर एवं पूर्व में आपराधिक कृत्यों में लिप्त रहे अपराधियों की निगरानी के लिये बीट पुलिसिंग की व्यवस्था को मजबूत किया गया।

बीट पुलिसिंग-

बीट पुलिसिंग व्यवस्था से पुलिस थाने में तैनात हर पुलिस कर्मी को ज़्यादा ज़िम्मेदारी मिलती है।इससे पुलिस विभाग के प्रति लोगों का विश्वास और सहयोग बढ़ता है।बीट का मतलब है वह इलाका जहां पुलिस अधिकारी को गश्त करने के लिए नियुक्त किया जाता है। बीट सिस्टम से पुलिस उपस्थिति व्यापक क्षेत्र में सुनिश्चित होती है। पुलिस की जन-जन तक पहुँच को सरल और सुलभ बनाना है। प्रत्येक थानों से अपनी-अपनी बीट का एक-एक मुख्य आरक्षी/आरक्षी को बीट पुलिस अधिकारी नियुक्त करते हुए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते हुए उन तक सहायता पहुँचाने व स्थानीय लोगों की समस्या का त्वरित समाधान कराये जाने का उद्देश्य है। इसी अनुक्रम में बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार जनसम्पर्क कर बनाये गये व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़ा जा रहा है।

यह हैं बीट पुलिस कर्मी और उनके सराहनीय कार्य-

1-बीट पुलिस कर्मी आरक्षी श्यामसुन्दर थाना कोतवाली नगर द्वारा गैगंस्टर सहबान पुत्र मो0 शरीफ निवासी पूरे पितई थाना कोतवाली नगर को गिरफ्तार कराने में एसओजी टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम की मदद की गई।

2-बीट पुलिस कर्मी आरक्षी नगेन्द्र यादव थाना अन्तू द्वारा गैगंस्टर अभय सिंह उर्फ अभि पुत्र संतोष सिंह निवासी सांगापुर उपाध्यायपुर थाना अन्तू को गिरफ्तार कराने में एसओजी टीम व थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम की मदद की गई।

3-बीट पुलिस कर्मी मुख्य आरक्षी अरविन्द सोनी थाना रानीगंज द्वारा शिवचरण विश्वकर्मा उर्फ पप्पू पुत्र नन्कू विश्वकर्मा को गिरफ्तार कराने में एसओजी टीम व थाना रानीगंज पुलिस टीम की मदद की गई।

4-बीट पुलिस कर्मी का0 अमरनाथ यादव थाना रानीगंज द्वारा दयाशकंर विश्वकर्मा पुत्र नन्हकू विश्वकर्मा को गिरफ्तार कराने में एसओजी टीम व थाना रानीगंज पुलिस टीम की मदद की गई।

5-बीट पुलिस कर्मी आरक्षी मनोज कुमार यादव थाना रानीगंज द्वारा अनुभव विश्वकर्मा पुत्र दयाशंकर विश्वकर्मा, आकाश विश्वकर्मा पुत्र दयाशकंर विश्वकर्मा, अभय विश्वकर्मा पुत्र दयाशंकर विश्वकर्मा समस्त निवासीगण देवासा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को एसओजी टीम व थाना रानीगंज पुलिस टीम की मदद से गिरफ्तार किया गया।

6-बीट पुलिस कर्मी आरक्षी मनीष पाण्डेय थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 गैंगस्टर सूरज सिंह को गिरफ्तार किया गया।

7-बीट पुलिस कर्मी आरक्षी गौरव सिंह थाना हथिगवां पुलिस व स्वाट टीम द्वारा 25 हजार रूपये का ईनामिया अभियुक्त अरविन्द मिश्र को गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर का आपराधिक इतिहास

1.गैंगस्टर सहबान पुत्र मो0 शरीफ निवासी पूरे पितई थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 920/20 धारा 392 भादवि थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़।

2.मु0अ0सं0 128/21 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़।

3.मु0अ0सं0 508/21 धारा 394, 411 भादवि थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़।

4. मु0अ0सं0 637/21 धारा 379, 411, 465, 471 भादवि थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़।

2.गैंगस्टर अभय सिंह उर्फ अभि पुत्र संतोष सिंह नि0 सांगापुर

उपाध्यायपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ उम्र 24 वर्ष का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 444/21 धारा 394, 307, 302, 34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़।

2.मु0अ0सं0 119/22 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना को0 नगर जनपद प्रतापगढ़।

3.मु0अ0सं0 124/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लीलापुर प्रतापगढ़।

4.मु0अ0सं0 18/24 धारा 392, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

3-गैंगस्टर-शिवचरण विश्वकर्मा का आपराधिक इतिहास-

-(गैंग लीडर)शिवचरण विश्वकर्मा उर्फ पप्पू पुत्र नन्हकू विश्वकर्मा) निवासी देवासा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

01. मु0अ0सं0 133/2004 धारा 307, 504, 506 भादवि थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 400/2022 धारा 147,148,149,302,323,342,504,506 भादवि थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 220/2024 धारा 323/504,506 भादवि थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

4-गैंगस्टर-दयाशंकर विश्वकर्मा पुत्र नन्हकू विश्वकर्मा, निवासी देवासा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 400/2022 धारा 147,148,149,302,323,342,504,506 भादवि थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 220/2024 धारा 323/504,506 भादवि थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

5-गैंगस्टर-अनुभव विश्वकर्मा पुत्र दयाशंकर विश्वकर्मा, निवासी देवासा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

02. मु0अ0सं0 220/2024 धारा 323/504,506 भादवि थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

6-गैंगस्टर- आकाश विश्वकर्मा पुत्र दयाशकंर विश्वकर्मा, निवासी देवासा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

02. मु0अ0सं0 220/2024 धारा 323/504,506 भादवि थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

7-गैंगस्टर- अभय विश्वकर्मा पुत्र दयाशंकर विश्वकर्मा समस्त निवासी देवासा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 400/2022 धारा 147,148,149,302,323,342,504,506 भादवि थाना रानीगंज, प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 220/2024 धारा 323/504,506 भादवि थाना रानीगंज, प्रतापगढ़।

8-गैंगस्टर सूरज सिंह पुत्र लल्लू सिंह निवासी लोका का पुरवा पूरेखुशई मोहनगंज थाना कोतवाली देहात, प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 250/21 धारा 323/325/504/506/452 भादवि थाना को0 नगर प्रता0

2. मु0अ0सं0 279/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर प्रता0

3. मु0अ0सं0 937/19 धारा 147/148/149/332/353/307 भादवि थाना को0 नगर प्रता0

4. मु0अ0सं0 1064/19 धारा 411 भादवि थाना को0 नगर प्रता0

5. मु0अ0सं0 528/22 धारा 411/413/414/465 भादवि थाना को0 नगर प्रता0

6. मु0अ0सं0 48/23 धारा 379 भादवि थाना को0 नगर प्रता0

7. मु0अ0सं0 64/23 धारा 411/419/465 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लीलापुर प्रता0

8. मु0अ0सं0 394/23 धारा 4/5 विस्फोटक अधि0 थाना लीलापुर प्रता0

9. मु0अ0सं0 50/24 धारा 379/411/413 भादवि थाना को0 देहात प्रता0

10. मु0अ0सं0 116/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 411/420 भादवि थाना को0 देहात प्रता0

11. मु0अ0सं0 313/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना को0 देहात प्रतापगढ़

12. मु0अ0सं0692/21 धारा457/380 भादवि थाना को0 नगर प्रतापगढ

9- 25000/- रूपये का ईनामिया अभियुक्त अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र देवी प्रसाद मिश्रा समसपुर छोटी बहरिया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 51/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

2- मु0अ0सं0- 26/2009 धारा 394 भादवि थाना जीआरपी जनपद प्रयागराज ।

3- मु0अ0सं0- 46/2009 धारा 392/411 भादवि थाना जीआरपी जनपद प्रयागराज ।

4- मु0अ0सं0- 157/2009 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना जीआरपी जनपद प्रयागराज ।

5- म0अ0सं0- 239/2009 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

6- मु0अ0सं0- 295/2009 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

7- मु0अ0सं0- 81/24 धारा 110जी सीआरपीसी थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

8- मु0अ0सं0- 44/24 धारा 307/120बी/211/195 भादवि थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

9- मु0अ0सं0- 191/24 धारा 310(2)/311/317(3) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

10- मु0अ0सं0- 198/24 धारा 109/317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान- जनपद में पुलिस का नेटवर्क बढ़ाने और अपराधियों पर नकेल लगाकर अंकुश लगाने के लिये लागू की गई बीट पुलिसिंग की व्यवस्था को आरक्षियों ने अपनी मेहनत और लगन के साथ प्रभावी बनाया है। इसके चलते 8 गैंगस्टर और एक इनामिया बदमाश को पुलिस टीमों ने गिरफ्तार किया है। सभी बीट पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा एवं शेष सभी पुलिस कर्मियों से इस प्रकार के सराहनीय कार्य की अपेक्षा की जाती है।

डॉ0 अनिल कुमार,

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।

थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना हथिगवां पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के फेमस चाट ढ़ाबा के बगल रामफल बाबा नरसरी बछरौली से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.09.2024 को थानाक्षेत्र हथिगवां के वादिनी के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने के प्रकरण में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हथिगवां में धारा 64 बी0एन0एस0 बनाम 01 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय कुमार राय के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह मय हमराह कां0 गौरव सिंह, कां0 अशेष कुमार, म0कां0 पूजा द्वारा अभियुक्त हीरालाल सरोज पुत्र स्व0 रामजियावन सरोज निवासी ग्राम मिश्रदयालपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 21.09.2024 को थानाक्षेत्र के फेमस चाट ढ़ाबा के बगल रामफल बाबा नरसरी बछरौली से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त हीरालाल सरोज को धारा 64 बी0एन0एस0 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हीरालाल सरोज पुत्र स्व0 रामजियावन सरोज निवासी ग्राम मिश्रदयालपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह मय हमराह कां0 गौरव सिंह, कां0 अशेष कुमार, म0कां0 पूजा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियुक्त गिरफ्तार

हत्या का प्रयास/जान से मारने की धमकी /गैंगस्टर एक्ट के अपराध में संलिप्त है अपराधी

गैंगस्टर शैलेष मिश्रा उर्फ सूर्या पुत्र काशी प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम गाजीपुर पर गम्भीर धाराओं में थाना मान्धाता व कोतवाली नगर में दर्ज हैं अभियोग

अभियुक्त द्वारा अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहोल पैदा कर आम जनता को आतंकित व भयभीत कर अनाधिकृत रूप से प्राप्त करते हैं आर्थिक, भौतिक व अनुचित लाभ

एएसपी पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज के नेतृत्व में गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दी जा रही थी दबिश

प्रतापगढ़।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सूरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक सुभाष यादव थाना मान्धाता के नेतृत्व में थाना मान्धाता पर दिनांक 12.08.2024 को मु0अ0सं0 130/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाम गैंगस्टर 01. राजवीर सिंह उर्फ तेजा पुत्र विनोद सिंह 02. शैलेश मिश्रा उर्फ सूर्या पुत्र काशी प्रसाद मिश्रा निवासीगण ग्राम गाजीपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ व 03. कल्लू उर्फ सचिन पाल पुत्र हरिभजन पाल 04. महेश पाल उर्फ भोनू पाल पुत्र हरी पाल निवासीगण ग्राम टिकरी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु थाना मान्धाता पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी चेकिंग व अभियुक्त के संभावित स्थानों पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी कर दबिश दी रही थी-

इसी क्रम में दिनांक 21.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 शशि प्रकाश मिश्रा मय हमराह का0 विनोद कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, दबिश के दौरान ग्राम गाजीपुर से गैंगस्टर शैलेश मिश्रा उर्फ सूर्या पुत्र काशी प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम गाजीपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

उक्त गैंग के सदस्यों द्वारा टिकरी चौराहा पुल के पास एक व्यक्ति को असलहा लहराते हुए दिनदहाड़े जान से मारने की नियत से पेट में गोली मार दी थी। जिस संबंध में थाना मान्धाता में मु0अ0सं0- 272/22 धारा 307, 504, 506, 34 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्पश्चात थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ क्षेत्रांतर्गत पूरेस्वामीदास स्थित किराना स्टोर पर गैंगलीडर राजवीर सिंह उर्फ तेजा पुत्र विनोद सिंह नें गिरोह के सदस्यों 01. शैलेश उर्फ सूर्या व 02. कल्लू उर्फ सचिन पाल के साथ दिनांक 02.03.2022 को एक व्यक्ति के उपर जान से मारने की नियत से उसके उपर पिस्टल से फायर करके मारते पीटते हुए फरार हो गये। जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 173/22 धारा 307, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शैलेश मिश्रा उर्फ सूर्या पुत्र काशी प्रसाद मिश्रा निवासीगण ग्राम गाजीपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास

शैलेश मिश्रा उर्फ सूर्या पुत्र काशी प्रसाद मिश्रा निवासीगण ग्राम गाजीपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

1. मु0अ0सं0-173/22धारा 323,504,506,307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0- 369/22 धारा 323, 504, 506, 427 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0- 272/22 धारा 307, 504, 506, 34 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0- 130/24 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीमः-

उ0नि0 शशि प्रकाश मिश्रा मय हमराह का0 विनोद कुमार थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना महेशगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के झींगुर तिराहा के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.06.2023 को थानाक्षेत्र महेशगंज अंतर्गत हुई चोरी के संबंध में थाना स्थानीय पर वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 76/2023 धारा 457, 380 भादवि व मु0अ0सं0 77/2023 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी महेशगंज उ0नि0 श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री वीरपाल सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री अंशू सिंह कां0 वीरपाल सिंह द्वारा दिनांक 21.09.2024 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान चोरी के मुकदमें से संबंधित मु0अ0सं0 76/2023 धारा 457, 380 भादवि व मु0अ0सं0 77/2023 धारा 380 भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त पुष्पाकर पाण्डेय उर्फ रितिक पाण्डेय पुत्र राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम छत्ता का पुरवा झींगुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत झींगुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

पुष्पाकर पाण्डेय उर्फ रितिक पाण्डेय पुत्र राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम छत्ता का पुरवा झींगुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त पुष्पाकर पाण्डेय उर्फ रितिक पाण्डेय ने बताया कि मैं तथा मेरा साथी सूरज ने मिलकर कई चोरियां किये हैं। हम लोग नशे के आदी हैं चोरी के सामान बेचकर जो पैसा मिलता है उसे बेचकर हम लोग उससे नशा व अन्य खर्चा पूरा करते हैं। दिनांक 05.06.2023 को बहोरिकपुर में रोड़ के किनारे सम्राट होटल व रेस्टोरेन्ट मे चोरी किये थे। तथा हीरागंज बाजार के पास अपने साथी के साथ मिलकर सफेदा के बाग से रात में 01 लकडकटा को चोरी करके बेच दिये थे। उस लकटकटा को बेचकर जो पैसा मिला था वह हम लोग बराबर- बराबर बांट लिये थे।

आपराधिक इतिहास -

पुष्पाकर पाण्डेय उर्फ रितिक पाण्डेय पुत्र राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम छत्ता का पुरवा झींगुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास -

01. मु0अ0सं0 76/23 धारा 457, 380 भादवि थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 77/23 धारा 379 भादवि थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 99/17 धारा 380 भादवि थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 श्री वीरपाल सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री अंशू सिंह कां0 वीरपाल सिंह थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता को थानाक्षेत्र के दफरा सदहा ॅ मार्ग पर मझिगवां मोड़ के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.09.2024 को वादी की प्राप्त तहरीर वादी की पुत्री को दहेज को लेकर आरोपीगणों द्वारा हत्या करने के प्रकरण में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 248/2024 धारा 80, 85 बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डीपी एक्ट बनाम 05 नामजद अभियुक्त व 01 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय व थाना प्रभारी आसपुर देवसरा उ0नि0 श्री संतोष सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह म0उ0नि0 दीपिका सिंह द्वारा अभियुक्ता जरीना पत्नी मो0 शमीम उर्फ पप्पू निवासिनी ग्राम दफरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 21.09.2024 को थानाक्षेत्र के दफरा सदहा ॅ मार्ग पर मझिगवां मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्ता जरीना पत्नी मो0 शमीम उर्फ पप्पू को मु0अ0सं0 248/2024 धारा 80, 85 बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डीपी एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

जरीना पत्नी मो0 शमीम उर्फ पप्पू निवासिनी ग्राम दफरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह म0उ0नि0 दीपिका सिंह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ

फर्जी डीजल एग्जास्ट यूरिया फ्लयूड की फैक्ट्री लगाकर गल्फ व टाटा की फर्जी बाल्टी में पैकिंग कर फर्जी लोगो लगाकर मार्केट में सप्लाई करने के गिरोह का पर्दाफाश

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

पुलिस अधीक्षक द्वारा चेकिंग के दिए गये हैं सख्त निर्देश

अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में उ0नि0 रामअवतार सिंह मय हमराह उ0नि0 राजेश कुमार यादव, उ0नि0 चन्द्रमाराम, हे0का0 विजय कुमार, का0 कपिल चौधरी द्वारा फर्जी डीजल एग्जास्ट फ्लयूड की फैक्ट्री लगाकर गल्फ व टाटा की फर्जी बाल्टी में पैकिंग कर फर्जी लोगो लगाकर मार्केट में सप्लाई करने के गिरोह पर कसा गया शिकंजा

थाना कंधई पुलिस टीम द्वारा फर्जी डीजल एग्जास्ट फ्लयूड की फैक्ट्री लगाकर गल्फ व टाटा की फर्जी बाल्टी में पैकिंग कर फर्जी लोगो लगाकर मार्केट में सप्लाई करने के गिरोह से संबंधित शातिर 02 अभियुक्त व 01 बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार।

चेकिंग के दौरान अवैध 2100 लीटर एग्जास्ट फ्लयूड नाजायज 8 अदद टंकी प्लास्टिक की 1000 लीटर SCHUTZ कम्पनी की 2 अदद टंकी 2000 लीटर गौरी एक्सपा प्लास्ट कम्पनी की व रंग सफेद, 1 अदद हथौडा प्लास्टिक का, 1 अदद मिक्सर यन्त्र, रैपर(QR सील टाटा मोटर्स कम्पनी का) 1 अदद भरी हुई बाल्टी टाटा मोटर्स 30 अदद खाली बाल्टी टाटा मोटर्स,गल्फ डीजल एग्जास्ट फ्यूल्ड की खाली बाल्टी 20 अदद,फील्टर मशीन एक अदद, 6 अदद फील्टर एक अदद मोटर एक अदद टूल्लू पम्प बरामद।

थाना कंधई पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ईटवा बाजार से मंगरौरा बाजार के पास से 02 अभियुक्त व 01 बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कंधई अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 रामअवतार सिंह मय हमराह उ0नि0 राजेश कुमार यादव, उ0नि0 चन्द्रमाराम, हे0का0 विजय कुमार, का0 कपिल चौधरी द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, थाना क्षेत्रान्तर्गत ईटवा बाजार से मंगरौरा बाजार के पास से 02 अभियुक्त 1- जलीलुद्दीन पुत्र स्व0 मुनसरक निवासी तिगुडी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ , 2- तमजीर पुत्र मो0 सादिक नि0 महमूदपुर थाना बाबूगंज जनपद सुल्तानपुर व 01- बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अवैध 2100 लीटर एग्जास्ट फ्लयूड नाजायज 8 अदद टंकी प्लास्टिक की 1000 लीटर SCHUTZ कम्पनी की 2 अदद टंकी 2000 लीटर गौरी एक्सपा प्लास्ट कम्पनी की व रंग सफेद, 1 अदद हथौडा प्लास्टिक का, 1 अदद मिक्सर यन्त्र, रैपर(QR सील टाटा मोटर्स कम्पनी का) 1 अदद भरी हुई बाल्टी टाटा मोटर्स 30 अदद खाली बाल्टी टाटा मोटर्स,गल्फ डीजल एग्जास्ट फ्यूल्ड की खाली बाल्टी 20 अदद,फील्टर मशीन एक अदद, 6 अदद फील्टर एक अदद मोटर एक अदद टूल्लू पम्प बरामद किया गया।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ में तीनो ने एक सुर में बताया कि साहब इस फैक्ट्री को कलीमुद्दीन पुत्र स्व0 मुनसरक निवासी तिगुडी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ व सलीमुद्दीन पुत्र स्व0 मुनसरक निवासी तिगुडी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर हम सभी चलाते है। हम लोग यह फ्लयूड तैयार करके बाल्टी पर फर्जी सील टाटा मोटर्स व गल्फ कम्पनी की लगाकर यूरिया पम्प पर बेंच देते है और अपना जीवनयापन करते है।

उपरोक्त अभियुक्तों के कब्जे से अवैध 2100 लीटर एग्जास्ट फ्लयूड नाजायज, 8 अदद टंकी प्लास्टिक की 1000 लीटर SCHUTZ कम्पनी की 2 अदद टंकी 2000 लीटर गौरी एक्सपा प्लास्ट कम्पनी की व रंग सफेद, 1 अदद हथौडा प्लास्टिक का, 1 अदद मिक्सर यन्त्र, रैपर(QR सील टाटा मोटर्स कम्पनी का) 1 अदद भरी

हुई बाल्टी टाटा मोटर्स 30 अदद खाली बाल्टी टाटा मोटर्स,गल्फ डीजल एग्जास्ट फ्यूल्ड की खाली बाल्टी 20 अदद,फील्टर मशीन एक अदद, 6 अदद फील्टर एक अदद मोटर एक अदद टूल्लू पम्प बरामद किया गया, उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना कंधई पर मु0अ0सं0- 242/24 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 63,65 कापीराइट एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01- जलीलुद्दीन पुत्र स्व0 मुनसरक निवासी तिगुडी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ।

02- तमजीर पुत्र मो0 सादिक नि0 महमूदपुर थाना बाबूगंज जनपद सुल्तानपुर

01- बाल अपचारी।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रामअवतार सिंह मय हमराह उ0नि0 राजेश कुमार यादव, उ0नि0 चन्द्रमाराम, हे0का0 विजय कुमार, का0 कपिल चौधरी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

हत्या का प्रयास व गोवध अधिनियम के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त दारा उर्फ राधेश्याम थाना आसपुर देवसरा के 02 मुकदमों में था वांछित जिसे गिरफ्तार किया गया।

थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के उदईपुर गांव की उसरपुलिया से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.09.2021 को थानाक्षेत्र आसपुर देवसरा अंतर्गत ग्राम कोपा में ढ़कवा पट्टी मार्ग पर पुलिया के पास सड़क के किनारे गोवंशीय पशु का मांस सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला था। जिसे स्थानीय पुलिस द्वारा गोमती नदी के पास सड़क के किनारे गढ़्ढ़ा खुदवाकर दफनाया गया था। इस संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 217/2021 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवाराण अधिनियम व धारा 429 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा॰0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी आसपुर देवसरा उ0नि0 श्री संतोष सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राजन कुमार बिन्द मय हमराह कां0 शिवम यादव द्वारा अभियुक्त दारा उर्फ राधेश्याम पुत्र हरिशचन्द्र निवासी ग्राम उदईपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 21.09.2024 को थानाक्षेत्र के उदईपुर गांव की उसरपुलिया से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त दारा उर्फ राधेश्याम पुत्र हरिशचन्द्र को मु0अ0सं0 217/2021 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवाराण अधिनियम व धारा 429 भादवि व मु0अ0सं0 227/2021 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवाराण अधिनियम धारा 147, 148, 149, 307, 120बी भादवि में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दारा उर्फ राधेश्याम पुत्र हरिशचन्द्र निवासी ग्राम उदईपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास -

दारा उर्फ राधेश्याम पुत्र हरिशचन्द्र निवासी ग्राम उदईपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास -

01. मु0अ0सं0 217/2021 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवाराण अधिनियम व धारा 429 भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 227/2021 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवाराण अधिनियम धारा 147, 148, 149, 307, 120बी भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 राजन कुमार बिन्द मय हमराह कां0 शिवम यादव थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

वादिनी मुकदमा की पुत्री को आरोपी द्वारा अपहरण /दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट करने के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बाघराय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत कुण्डा मार्ग, बिहार बाजार से 01अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 30.08.2024 को वादिनी की पुत्री के साथ आरोपी द्वारा अपहरण कर दुष्कर्म करने के संबंध मे प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में धारा 137(2), 87, 64 बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 ओमप्रकाश यादव द्वारा अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शनी सोनी पुत्र मंगला प्रसाद सोनी निवासी ग्राम माधोपुर उर्फ सधनगंज थाना सोरांव जनपद प्रयागराज को आज दिनांक 21.09.2024 को थानाक्षेत्र बाघराय के कुण्डा मार्ग, बिहार बाजार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय क समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना बाघराय में धारा 137(2), 87, 64 बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शनी सोनी पुत्र मंगला प्रसाद सोनी निवासी ग्राम माधोपुर उर्फ सधनगंज थाना सोरांव जनपद प्रयागराज।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 ओमप्रकाश यादव थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।